



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62952

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10277 वर्ष 2026

यशवीर सिंह उर्फ बंदर

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: नितिन राज सिंह, राज सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नितिन राज सिंह और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह की बात सुनी गई और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 213/2025, धारा 103(1) और 61(2) बीएनएस, पुलिस स्टेशन बलदेव, जिला मथुरा के तहत, मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ताका तर्क है कि आवेदक का नाम एफआईआर में नहीं है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने प्रथम शिकायतकर्ता के पिता की हत्या की। बाद में, जांच के दौरान, प्रथम शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि वह वही व्यक्ति था जिसने वर्तमान आवेदक की मदद से अपने पिता की हत्या की साजिश रची थी। आगे यह भी कहा गया है कि, सह-आरोपी विनोद कुमार उर्फ विन्दो के इकबालिया बयान के अलावा, आवेदक के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं है, और आवेदक के बताए अनुसार कोई भी बरामदगी नहीं हुई है। सह-आरोपी विनोद कुमार उर्फ विन्दो ने अपनी जान बचाने के लिए उसे झूठा फंसाया है। आगे यह भी कहा गया है कि सह-आरोपी विनोद कुमार उर्फ विन्दो को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 38659/2025 में दिनांक 06.11.2025 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया है। इसलिए, आवेदक समान स्थिति में होने के कारण समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक ने स्पष्टीकरण दिया है। संलग्न हलफनामे में तीन मामलों का आपराधिक इतिहास दर्ज है। यह भी निवेदन है कि वर्तमान मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 01.12.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए, जेलों की भीड़भाड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए, साथ ही **कैपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आदेश को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इस राय का हूँ कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **यशवीर सिंह उर्फ बंदर** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के दो व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- ii. आवेदक मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा बिना किसी स्थगन की मांग किए।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
 - v. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।
7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण की पुष्टि संबंधित न्यायालय द्वारा बांड स्वीकार किए जाने से पहले की जानी चाहिए।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है और संबंधित अधिवक्ताद्वारा सत्यापित किया गया है, साथ ही यह वचन भी दिया गया है कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।
10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा। ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति आवेदक को संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल द्वारा भेजी जाए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, नीति जमानत देने की रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021, दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय के अनुसार, जो (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित हुआ है।

26 मार्च, 2026

एस. सी.

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।